कार्यालयः कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक–01
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,दंतेवाड़ा जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ.ग.)

☎: 07856252214, E-mail- cg.dan@nic.in

//विज्ञापन//

क्रमांक/594/स्था0/भर्ती/छगग्रासविअ/2021–22

दंतेवाड़ा दिनांक 01 /04/2021

वित्त विभाग जावाक क्रमांक 14521/बजट/–2/वित्त/चार/2021 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दी गई सहमति एवं छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक 1329/961/22–1नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19.03.2021 के द्वारा स्वीकृत पदो के तहत् पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 3332/पंग्राविवि/22/2012 रायपुर दिनांक 17/04/2012 के अंतर्गत कलेक्टर जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ0ग0से प्राप्त अनुमोदन पश्चात् प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंर्तगत कार्यालय छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र0 01 दंतेवाड़ा के लिए संविदा नियुक्ति हेतु निम्नलिखित विज्ञापित पदों पर भर्ती की जानी है।नीचे दर्शित पदों एवं उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरण अनुसार संविदा रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी निर्धारित योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यार्थियों से **दिनांक 30.04.2021 तक संध्या 5.30 बजें** तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर **पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम** से आमांत्रित किये जाते है। किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे।

स0 क्र0	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	मासिक संविदा वेतन (एक मुश्त)	आरक्षण की स्थिति	शैक्षाणिक अर्हता मेरिट अंक		
					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	विवरण	अंक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
01	लेखापाल	01	18420.00	अनारक्षित (मुक्त) कुल पद–01	1) मान्यता प्राप्त विश्वविधायल से द्वितीय श्रेणी में बी.कॉम. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण। 02) डाटा एंट्री ऑपरेटर/ प्रोगामिंग में मान्यता प्राप्त संस्था में 01 **वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 5000 की डिपेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)**	हायर सेकेंण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightageदेते हुऐ	20
						न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightagदेते हुऐ	40
						कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	25
						पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में समान वेतनमान पर लेखा संबंधी कार्य अनुभव को प्राथमिकताः–	
						प्रतिवर्ष 5 अंक के साथ	अधिकतम 15 अंक
02	सहायक वर्ग–02	01	18420.00	अनारक्षित (मुक्त) कुल पद–:01	1) मान्यता प्राप्त विश्वविधायल से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 02) डाटा एंट्री ऑपरेटर/ प्रोगामिंग में मान्यता प्राप्त संस्था में 01 **वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 5000 की डिपेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)**	हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightageदेते हुऐ	20
						न्यनतम शैक्षाणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightagदेते हुऐ	40
						कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	25
						पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में समान वेतनमान पर कार्य अनुभव को	

						प्राथमिकता:–	
						प्रतिवर्ष 5 अंक के साथ	अधिकतम 15 अंक
03	डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	18420.00	अ0ज0 जाति (मुक्त) कुल पद–01 अ0पि0वर्ग (मुक्त) कुल पद–01	1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल **से (10+2) परीक्षा** उत्तीर्ण अथवा पुराना **हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण** के साथ मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविघालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठयकम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में मान्यता प्राप्त संस्था में 01 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा जावेंगी)**	न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता में में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुऐ	60
						कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	25
						पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में समान वेतनमान पर कार्य अनुभव को प्राथमिकता:–	
						प्रतिवर्ष 5 अंक के साथ	अधिकतम 15 अंक
04	सहायक ग्रेड–03	03	14200.00	अ0ज0 जाति (मुक्त) कुल पद–2 अ0पि0वर्ग (मुक्त) कुल पद–01	1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल **से (10+2)** परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना **हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण** के साथ मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविघालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठयकम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा कक्षा 10वी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में मान्यता प्राप्त संस्था में 01 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेंगी)** 3) **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में समान वेतनमान पर कार्य अनुभव।**	न्यूनतम शैक्षाणिक योग्यता में में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुऐ	60
						कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	25
						पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में समान वेतनमान पर कार्य अनुभव को प्राथमिकता:–	
						प्रतिवर्ष 5 अंक के साथ	अधिकतम 15 अंक

संविदा नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:–

01.वेंतन

1.उपरोक्त संविदा में सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता,क्षतिपूर्ति भत्ता , गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा।

02. आरक्षण:–

1.छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिऐ संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित राज्य/जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

2.आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग अभ्यर्थी प्राप्त नही होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।

03 आयुसीमा:–

1.संविदा नियुक्ति हेतु आयु दिनांक 01.01.2021 कि स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं छत्तीसगढ़ शासन के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष में अधिकतम 05 वर्ष की छूट, विशेष वर्गो को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**(छ0ग0शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।)**

04 नियुक्ति की अवधि:–

01.संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

05. अवकाश की पात्रता:–

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकित किया जावेगा।

06 अन्य शर्तें:–

01 आवेदक को दंतेवाड़ा जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तत्संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

02.आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

03.कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिऐ नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिऐ पात्र नही होगा। साथ ही **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते)** नियम, **1961 के निमय 6 में नियुक्त अर्हताऐ भी लागू** होंगी।

04.एक से अधिक रिक्त पदों में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिऐ अलग–अलग आवेदन करना होगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथा छानबीन समिति से जाति सत्यापित नही कराया गया है उनकी नियुक्ति होने पर 03 माह का समय छानबीन समिति से उम्मीदवार को को जाति प्रमाण पत्र सत्यापन कराये जाने के लिए अवसर दिया जावेगा। इसके बाद भी छान–बीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वेतन भत्ता देय होगा। अन्यथा नही।
06.शासकीय/अर्द्वशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओ के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
07 अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का पासपोर्ट साईज के फोटो चिपकाऐं। आवेदन पत्र निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
08 उम्मीदवार आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। प्रत्येक पद के अलग–अलग आवेदन करना होगा।
09 प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन अच्छी तरह पड़कर उनमें दिए गये निर्देशोंनुसार आवेदन पत्र में जानकारी सावधानी पूर्वक एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रृटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आवेदक की होगी। त्रृटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्वसूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव घटाया–बढाया एवं निरस्त भी किया जा सकता है।
11. शासन की भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिर्वतन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो यह विज्ञप्ति में लागू होगा।
12. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
13. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी अस्तय पायी जाती है। तो की गई नियुक्ति समाप्त की जावेगी। साथ की संबंधित के विरूद्व वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।
14. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
15. अभ्यर्थी का चयन परीक्षा/साक्षात्कार पश्चात चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
16. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 प्रभावशील रहेंगे।
17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
18.संविदा में नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिऐ किसी भी प्रकारण की पेंशन/उपदान या मृत्यलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
18. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लेखनबद्व किया जायेगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका/उसकी विचारण किये जाने की दशा में संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका/उसकी गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आ.(कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।
19.यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के आदेश कमांक 3332/पंग्राविवि/22/2012 रायपुर दिनांक 17/04/2012 के यथा संशोधित आदेश कमांक एफ–9–1/2012/1–3 दिनांक 10.07.2019 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

टीपः–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओ तथा शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवदेन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्व वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।

आवेदन के संबंध में दिशा–निर्देश

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूचियों को राजपत्रित अधिकारी/स्वप्रमाणित द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित किये जा सकेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो को अच्छी तरह से नस्तीबद्व किया जावे तथा आवेदन पत्र निर्धारित कम से ही व्यवस्थित कर (1.आवेदन पत्र 2.निवास प्रमाण पत्र 3. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र 4.जाति प्रमाण पत्र 5.शैक्षाणिक योग्यता 6. अनुभव प्रमाण पत्र 7. अन्य प्रमाण पत्र8.लिफाफा)फोटो निर्धारित स्थान पर चस्पा करें एवं आवेदन पत्र के साथ 5 रूपयें का डाक टिकट लगा हुआ दो लिफाफा संलग्न करें। पूर्णता भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 30.04.2021** को पंजीकृत डाक/स्वीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते है।**आवेदन करने हेतु पताः–कार्यालय कार्यापालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना कियान्वयन इकाई क0–01 छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0) पिन कोड–494449**

नोटः– विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नही किया जावेगा। इस विज्ञापन के जारी करने से पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नही किये जावेंगे। निधारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र की निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची **कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना कियान्वयन इकाई क0–01 छ.ग.ग्रा.स.वि. अभि. दंतेवाड़ा** के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी एवं कार्यालय कलेक्ट्रेट,जिला दंतेवाड़ा के वेबसाईट पर अपलोड कर दी जावेगी।

01/04/21

कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव
परियोजना कियान्वयन इकाई क–01
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ0ग0)

पृ0क0/ 513 /स्था0/छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि./2021 दंतेवाड़ा, दिनांक 01/04/2021

प्रतिलिपिः–

01.संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)छ0ग0 रायपुर की की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03 आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

04.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण विकास भवन सिविल लाईन्स रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

05.अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना मण्डल कमांक 01 जगदलपुर जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।

06.कलेक्टर (वित्त शाखा) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।

07.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।

08.जनसंपर्क अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ उक्त विज्ञापन को बस्तर भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।

09.कोषालय अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।

10 जिला सूचना अधिकारी, (एन.सी.आई.) कलेक्टोरेट परिसर जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ। उक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाईट www.dantewada.gov.in में अपलोड करने हेतु।

11.स्थापना शाखा, परि0किय0इकाई क0 01 छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि.दंतेवाड़ा, नस्ती हेतु।

01/04/21

कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव
परियोजना कियान्वयन इकाई क–01
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ0ग0)